प्रेस विज्ञप्ति

30.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिलांग उप आंचलिक कार्यालय ने 28.01.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेघालय में अवैध कोक संयंत्रों से जुड़े गुवाहाटी और कोलकाता में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिन्हें जनहित याचिका संख्या 14/2022 में मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश के कारण बंद कर दिया गया था।

मेघालय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 14/2022 में दिनांक 16.12.2022 के आदेश के तहत मेघालय राज्य में सभी कोक संयंत्रों को बंद करने का आदेश दिया था। पुलिस के साथ संयुक्त अभियान के बाद मावशिनरूट सिविल सब-डिवीजन के एडीसी-कम-एसडीओ (सिविल) द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के शालंग क्षेत्र में 57 अवैध कोक संयंत्रों को बंद कर दिया गया था। मेघालय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के परिणामस्वरूप।

ईडी ने मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के शालंग पी.एस. में दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि कोक प्लांट को इसलिए ध्वस्त किया गया क्योंकि वे अवैध रूप से चल रहे थे, कुछ बिना आवश्यक परमिट के और अन्य पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। जांच से पता चला कि अवैध कोक प्लांट के असली संचालक ज्यादातर असम से थे और वे मेघालय में अवैध रूप से कोक प्लांट का कारोबार चला रहे थे। कई कोक प्लांट कथित तौर पर बेनामी तरीके से चलाए जा रहे थे, जिसमें दिखाया गया था कि इनका मालिकाना हक मेघालय के स्थानीय लोगों के पास है, जबकि असल में ये लोग असम से कारोबार चला रहे थे। जांच से यह भी पता चला कि ये अवैध कोक प्लांट अवैध रूप से खनन किए गए कोयले का उपभोग कर रहे थे और उनके पास कोयले का कोई वैध स्रोत नहीं था।

वर्तमान तलाशी के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। 14.2 लाख रुपये की नकदी भी जब्त की गई और कई उच्च मूल्य के सीमा पार लेनदेन भी पाए गए। कई संपत्ति के दस्तावेज और बड़ी संख्या में बैंक और म्यूचुअल फंड खाते भी पाए गए हैं, जो यह स्थापित करते हैं कि पश्चिमी खासी हिल्स जिले में अवैध कोक प्लांट उद्योग ने मुख्य रूप से अवैध रूप से खनन किए गए कोयले और संसाधित कोक की बिक्री के माध्यम से अपराध की पर्याप्त आय अर्जित की है।

आगे की जांच जारी है।